

प्रारूप 21 ग

[नियम 64 देखिय]

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

62- जसपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री आदेश सिंह चौहान निवासी ग्राम निष्क भुण्डी तहसील जसपुर
जो (मन्यता प्राप्त/रजिस्ट्रकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) इंडियन नेशनल
कांग्रेस द्वारा खड़े किए/की गयी है। उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान
भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है/गयी है।

स्थान : जसपुर

तारीख : 10/3/2022

रिटर्निंग आफिसर

रिटर्निंग आफिसर
62- जसपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,
जनपद ऊधमसिंहनगर।

FORM 21C
(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **62 -JASPUR** Assembly constituency in Uttarakhand State.

In pursuance to the provisions contained in section 66 of Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules 1961, I declare that-

ADESH SINGH CHAUHAN (Name) Village **Niwarmundi** Post **Jaspur** (address) [Sponsored by **Indian National Congress** (Name of the recognised/registered political party)] has been elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place-**Rudrapur**

Date-**10.03.2022**

Signature----- 16/3/22

Returning Officer

62-JASPUR

Assembly constituency

Udham Singh Nagar

रिटर्निंग ऑफिसर

62- जसपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र